



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक
इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Phone - 07782-225073, E-mail-ccfwjdp@gmail.com

क्रमांक/व.जी./त.अधि./२१९३

जगदलपुर, दिनांक १९/०८/२०२५

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

विषय :- Diversion of 8.386 ha. Forest land for Non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 for Proposed for Widening and Strengthening Work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma-Konta Road (Km. 25.530 to 31.540 =6.010 Km. NH-30 (Old 221) Sukma District in the State of C.G. - reg.

- संदर्भ :-**
1. निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर का पत्र क्र./त.अधि./2473 दिनांक 19/08/2025
 2. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर का पृ.क्र.1814/त.शा./ जगदलपुर दिनांक 11/08/2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल हाईवे डिवीजन लोक निर्माण विभाग जगदलपुर के प्रोजेक्ट Construction of Widening and Strengthening work in Km. 25.530 to 31.540 = 6.010 Km. of NH- 30 (Old NH 221) Jagdalpur-Sukma-Konta Road and Diversion हेतु चाही गई अतिरिक्त जानकारी निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की गई है एवं इस कार्यालय द्वारा अनुशंसा सहित परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि कर प्रतिवेदन आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्रों।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.

जगदलपुर दिनांक १९/०८/२०२५

क्रमांक/व.जी./त.अधि./२१९४

प्रतिलिपि -

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.जी.) अटल नगर, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग, सुकमा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.



Phone/Fax Number (07782) 299470

E-mail -dirkvpnp.cg@gov.in

कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर (छ0ग0)

(जमाल मिल के सामने, जयपुर रोड, कुम्हारपारा, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़)

क्रमांक/व.जी./त.अधि./2473

जगदलपुर, दिनांक : 17/8/2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.

विषय :- Diversion of 8.386 ha Forest land for Non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 for Proposed for Widening and Strengthening Work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma-Konta Road (Km.25.530 to 31.540 =6.010 Km. NH-30 (Old221) Sukma District in the State of C.G.:- reg.

संदर्भ :- कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर का पृ.क्र.1814/त.शा./ जगदलपुर दिनांक 11/08/2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल हाईवे डिवीजन लोक निर्माण विभाग जगदलपुर के प्रोजेक्ट Construction of Widening and Strengthening work in Km. 25.530 to 31.540 = 6.010 Km. of NH- 30 (Old NH 221) Jagdalpur-Sukma-Konta Road and Diversion हेतु चाही गई अतिरिक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन इस कार्यालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की गई है। प्रतिवेदन सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र।

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

प्रतिलिपि - 2474

दिनांक: 19/8/2025

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.जी.) अटल नगर, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्र/वन (सं. एवं सं.) अ.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वनसंरक्षक (व.जी.) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर (छ.ग.)

ज्ञापन क्रमांक 1813 /त0शा0
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक : 11 / 08 / 2025

निदेशक

कंगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर।

विषय:-

Diversion of 8.386 ha. Forest land for Non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 for Proposed for Widening and Strengthening Work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma- Konta Road (Km. 25.530 to 31.540 = 6.010 Km. NH- 30 (Old 221) Sukma District in the State of C.G.:- reg.

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक/त.अधि./2171 जगदलपुर दिनांक 21.07.2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल हाईवे डिवीजन लोक निर्माण विभाग जगदलपुर के प्रोजेक्ट Construction of Widening and Strengthening work in Km. 25.530 to 31.540 = 6.010 Km. of NH- 30 (Old NH 221) Jagdalpur-Sukma-Konta Road and Diversion हेतु चाही गई अतिरिक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-8/2/2024/IRO/RAIPUR/173 दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से "As per Ministry guideline dated 08.07.2024 the User Agency is required to obtain prior approval of the SC NBWL for its further consideration under the VSSA, 1980" का उल्लेख है।

इस संबंध में सादर विदित है कि File No. WL-Prabandh-1/549 Government of Chhattisgarh, Department of Forest & Climate Change O/O PCCF (Wildlife) cum CWLW, Aranya Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar Chhattisgarh के माध्यम से दिनांक 08.08.2025 को Prior permission of the SC NBWL प्रदान की गई है। अतः अनुमति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक
प्रतिलिपि:-

/त0शा0

जगदलपुर, दिनांक : 11 / 08 / 2025

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (व.जी.) अटल नगर, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, (व.जी.) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।

सहपत्र:- शून्य।

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
जगदलपुर

File No. WL-Prabandh-1/549
Government of Chhattisgarh
Department of Forest & Climate Change
O/O PCCF (Wildlife) cum CWLW , Aranya Bhawan, Nava Raipur Atal nagar
Chhattisgarh

Date : 08/08/2025

To,

RAJESH KUMAR GURU
EXECUTIVE ENGINEER PWD NH DIVISION
SUKMA
Kamanar, Darbha, Bastar, CHHATTISGARH
494111
sdonh.sukma@gmail.com



Sub: Proposal for use of 8.386 ha of forest land from Kangerghati National Park for strengthening and widening from existing 3 m to 14 m of JagdalpurSukma-Konta Road, NH-30 from KM 25.530 to 31.540=6.010 km road, district Bastar in favour of PWD NH Division Sukma. regarding.

Ref: WL/CG/ROAD/503322/2024

Sir,

Reference is invited to the following proposal:

i) WL Identification No. (UCN)	WL25A0102CG522978N
ii) Name of the Project	NH-30 (JAGDALPUR -SUKMA-KONTA ROAD) STRENGTHENING AND WIDENING WORK.
iii) Category of the project	Construction / Widening of Road including approach road to roadside establishments including bridges
iv) Name of User Agency	EXECUTIVE ENGINEER PWD NH DIVISION SUKMA
v) Location of Project(District,State)	Kamanar, Darbha, Bastar, CHHATTISGARH, Chhattisgarh

The above proposal was considered and recommended/approved by the Standing Committee of the National Board of Wild Life in its 26-6-2025 meeting held on 26/06/2025 subject to certain conditions.

In view of the recommendations made by the Standing Committee of the National Board for Wild Life, the permission is hereby granted under section 29 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 for the project over an area 8.386 (area in ha) in the Kanger Ghati National Park (name of the area) subject to the following conditions:-

1. The User Agency shall implement the animal passage plan submitted along with the proposal.

2. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.

from: PCCF (Wildlife) & CWLW, Chhattisgarh

Copy to:

1. CCF (WL) & Field Director, Indrawati Tiger Reserve, Jagdalpur
2. Director, Kanger Vally national Park, Jagdalpur

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudhir Kumar Agrawal
Chief Wild Life Warden

Date: 2025.08.08 16:35:40 IST